

:-प्रवेश तिथि एवं अन्य विवरण:-

| दिनांक     | दिन         | समय           |
|------------|-------------|---------------|
| 12-02-2024 | सोमवार      | 10:00 से 5:00 |
| 13-02-2024 | मंगलवार     | 10:00 से 5:00 |
| 15-02-2024 | बृहस्पतिवार | 10:00 से 5:00 |
| 16-02-2024 | शुक्रवार    | 10:00 से 5:00 |
| 17-02-2024 | शनिवार      | 10:00 से 5:00 |

**काउन्सलिंग / प्रवेश सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश**

01-अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरा गया विवरण ही चयन का आधार है। आवेदन में भरे गये विवरण से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रामाणित स्पष्ट पठनीय छायाप्रतियाँ जांच के समय अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होंगी। ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंकपत्र तथा आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मूल अभिलेखों की जांच के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों के इतर सूचनाओं वाले प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्र:-

- ऑनलाइन पूरित आवेदन की एक प्रति।
- समस्त मूल अभिलेख।
- आवेदन पत्र में उल्लिखित एवं अनिवार्य समस्त अभिलेखों की स्वप्रामाणित छायाप्रति (दो प्रति)
- दो रंगीन नवीन पासपोर्ट साइज की फोटो जिसपर नाम अंकित हो।
- आरक्षण, विशेष आरक्षण प्रपत्र, निवास व आय प्रमाण-पत्र की छायप्रति

02-अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह घोषणा (Undertaking)की जायेगी कि आवेदन करने की

तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र/प्रमाण-पत्र/आरक्षण, विशेष आरक्षण प्रपत्र उपलब्ध है। यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा अपितु उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। जिस पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

03-आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अंकपत्र/प्रमाण पत्र से भिन्न कोई भी अंकपत्र/प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

04-जांच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान(Identity) के प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यू०आई०डी०(आधार कार्ड) में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेखों की जांच कराने का अर्थ प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। प्रवेश मेरिट के आधार पर आवंटित सीटों के सापेक्ष होगा।

05-प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को रु० 10 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो सहित नोटरी से प्रमाणित इस आशय का शपथपत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में उत्तर प्रदेश के .....जनपद का निवासी है, उसके पास आवेदन पत्र और जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

Bhums  
Ans  
6/feb/24

06/02/2024  
प्रधानाचार्या,  
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला  
विद्यालय, प्रयागराज